FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0020 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/01/2026 19:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:38 बजे **Time To (समय तक):** 11:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/01/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/01/2026 19:16:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SHYAM RESTAURANT, KENDRIYA KARAGRHA CHAURAHA, AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHUBHAM MALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOOLCHAND MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	135, MAUSAM VIBHAG OFFICE KE PASS, DATANAGAR JATIYA HILLS, SHASTRI NAGAR AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	135, MAUSAM VIBHAG OFFICE KE PASS, DATANAGAR JATIYA HILLS, SHASTRI NAGAR AJMER, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARIRAM YADAV		पिता:MULARAM	1. KALYANIPURA ROAD,GALI NO. 01,DHOLABHATA ALWAR GATE,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	20000 रूपये भारतीय चलित मुद्रा के एवं 100-100 रूपये के 80 डमी नोट मनोरंजन बैंक के	28,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 28,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर विषय शिकायत देने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मै शुभम माली पुत्र स्व0 मूलचन्द माली उम्र 31 वर्ष दाता नगर अजमेर का निवासी हॅू। मेरे द्वारा एक एफ0आई0आर0 नं0 209/2025 ऋषि अग्रवाल के विरूद्ध दिनांक25.06.2025 को दर्ज करायी थी। जिसमे कार्यवाही के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया है, बार बार मुझे थाना बुलाकर सुबह से शाम तक बैठा कर रखते है। मेरे द्वारा पूछने पर बोला कि यहा हम बिना पैसे कुछ नहीं होता है। मुझ पर दबाव बनाकर 35000 रूपये नगद दिनांक 02.01.2026 को ए0एस0आई0 हरीराम यादव जांच अधिकारी ने लिए ओर बोला अब देखना तेरा काम कितना जल्दी होता है। उसके बाद मे पुनः थाना पर गया कार्यवाही के लिए पुछा तो मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरा माल जब्त करा मुझे धोखा महसूस होने पर मेने मेरे मिलने वाले फारूख को आप बीती बताई तो ए0एस0आई0 हरीराम यादव द्वारा 5 लाख की मांग की गई जिसमे 35000 प्राप्त कर लिए व 25000 की मांग ओर की गई जिसमे 35000 प्राप्त कर सी0आई0 साहब को ओर पैसे देने की बात हुई, नहीं दिये तो एफ0आर0 लगा दूंगा मे मेरे जायज काम के एवज मे कोई रिश्वत राशि देने मे असमर्थ हॅू। कृपया कर मुझे आप न्याय दिलाये जाये। एसडी भवदीय शुभम माली मो0 संलग्न प्रतिलिपि एफ0आई0आर0 की कॉपी, ईकरारनामा की कॉपी, मेरे द्वारा दिलाये माल के बिल। कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 11.01.26 समय 11.38 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट,अजमेर को मुख्यालय द्वारा संचालित हैल्पलाईन नम्बर 1064 से जरिये मोबाईल सूचना प्राप्त हुई कि परिवादी श्री शुभम माली से प्राप्त सुचना के आधार पर उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावे। प्राप्त सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल नं0 से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री शुभम माली ने अवगत कराया कि मैने मुख्यालय पर संचालित हैल्पलाईन 1064 पर शिकायत दर्ज कराई है। मैं प्रार्थी शुभम माली पुत्र स्व0 मूलचन्द माली उम्र 31 वर्ष दाता नगर अजमेर का निवासी हॅू। मेरे द्वारा एक एफ0आई0आर0 नं0 209/2025 ऋषि अग्रवाल के विरूद्ध दिनांक 25.06.2025 को दर्ज करायी थी। जिसमे कार्यवाही के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया है, बार बार मुझे थाना बुलाकर सुबह से शाम तक बैठा कर रखते है। मेरे द्वारा पूछने पर बोला कि यहा हम बिना पैसे कुछ नहीं होता है। मुझ पर दबाव बनाकर 35000 रूपये नगद दिनांक 02.01.2026 को ए0एस0आई0 हरीराम यादव जांच अधिकारी ने लिए ओर बोला अब देखना तेरा काम कितना जल्दी होता है। उसके बाद मे पुनः थाना पर गया कार्यवाही के लिए पुछा तो मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरा माल जब्त करा मुझे धोखा महसूस होने पर मेने मेरे मिलने वाले फारूख को आप बीती बताई तो ए0एस0आई0 हरीराम यादव द्वारा 5 लाख की मांग की गई जिसमे 35000 प्राप्त कर लिए व 25000 की मांग ओर की गई जिसमे 35000 प्राप्त कर सी0आई0 साहब को ओर पैसे देने की बात हुई, नहीं दिये तो एफ0आर0 लगा दूंगा मे मेरे जायज काम के एवज मे कोई राशि देने मे असमर्थ हॅू। कृपया कर मुझे आप न्याय दिलाये जाये। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो चौकी अजमेर की निरीक्षक पुलिस श्रीमती मीरा बेनीवाल को प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने के सम्बन्ध मे निर्देशित किया। दिनांक 12.01.26 को समय करीब 05.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक वास्ते अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ए0सी0बी0, चौकी अजमेर से ए0सी0बी0, एस0यू0-अजमेर पर उपस्थित हुयी। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया गया। इसी दरम्यान समय करीब 05.20 पीएम के आस-पास परिवादी श्री शुभम माली कार्यालय मे उपस्थित आए तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे परिवादी श्री शुभम माली से आवश्यक दरियाफ्त की गयी तथा मन् निरीक्षक पुलिस का परिवादी से आपस मे परिचय करवाया जाकर मूल प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही

हेतु सुपुर्द किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुतशुदा मूल प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे आवश्यक दरियाफ्त की गयी तो उसने अवगत कराया कि मै दाता नगर अजमेर का मूल निवासी हॅू। मेरे द्वारा दिनांक 25.06.25 को पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर मे एक प्रकरण संख्या 209/25 श्री ऋषि अग्रवाल एवं ऋतु अग्रवाल के विरूद्ध दर्ज कराया है। जिसमे कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। बार-बार मुझे थाने पर बुलाकर सुबह से शाम तक बैठा कर रखते है। मेरे द्वारा उक्त प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी श्री हरीराम यादव से पूछने पर बोला कि यहा हमारे बिना पैसे कुछ नहीं होता है तथा मुझ पर दबाव बनाकर दिनांक 02.01.26 को 35,000 रूपये नगद प्राप्त कर लिए तथा रूपये प्राप्त करते समय मेरे को कहा कि अब देखना तेरा काम कितना जल्दी होता है। उसके पश्चात मै काफी दिनो बाद थाने पर गया तो उनसे कार्यवाही के सम्बन्ध मे पूछा तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया ओर ना ही मेरा माल जब्त किया। मुझे धोखा महसूस होने पर मेने मेरे परिचित श्री फारूख को आप बीती बतायी तो ए0एस0आई0 हरीराम द्वारा मेरे से पांच लाख रूपये की मांग की। मेने उनको कहा कि मेने आपको 35,000 रूपये दे दिये है तो उसने मेरे से 25000 रूपये की ओर मांग की तथा कहा कि सी0आई0 साहब को ओर पैसे देने है। पैसे नहीं दिए तो मै एफ0आर0 लगा दूंगा। मै मेरे सही काम के बदले मे आरोपी हरीराम ए0एस0आई0 एवं अन्य को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हॅू तथा रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के संबंध मे दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरी स्वयं की हस्तलेखनी मे लिखा होकर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। मेरी आरोपी से किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेषभावना नही है एवं आरोपी से मेरा किसी प्रकार का कोई उधार का लेन-देन भी शेष नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर मामला पी0सी0 एक्ट से सम्बन्धित होना पाये जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यक समझाईश की गयी तो परिवादी ने अवगत कराया कि आज आरोपी उपस्थित नहीं है तथा आईन्दा आरोपी की उपस्थिति एवं रिश्वत मांगने के सम्बन्ध मे वार्ता होने के उपरान्त आपको सूचित कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी को रूख्स्त कर प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखे गये। दिनांक 13.01.26 को परिवादी श्री शुभम माली ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिए दूरभाष सूचना प्रदान की कि आज आरोपी श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर पर उपस्थित है तथा उनसे आज मेरी रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो सकती है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराये जाने हेतु श्री अर्जुन कानि0 नं0 244 को ए0सी0बी0 कार्यालय एस0यू0-अजमेर से एक नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाया जाकर डिजीटल वॉइस रेकार्डर सहित परिवादी के पास पुलिस थाना सिविल लाईन मिलकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के निर्देश प्रदान कर परिवादी के मोबाईल नं0 उपलब्ध कराये गए। जिस पर कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 का कार्यालय एसीबी, एसयू-अजमेर से एक डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर पुलिस थाना सिविल लाईन के लिए रवाना हुआ। दिनांक 13.01.26 को कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 नं0 244 ने जरिए दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मै समय करीब 02.40 पीएम के आस-पास आपके निर्देशानुसार कार्यालय का सरकारी डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर पुलिस थाना सिविल लाईन के पास पहुचा। जहा परिवादी के उपलब्ध कराये गए मोबाईल फोन पर वार्ता की गयी तो परिवादी मुझे के0जी0एन0 पार्किंग डिग्गी बाजार मे उपस्थित मिला। परिवादी को मेरे द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे कहा गया तो उसने बताया कि अभी आरोपी पुलिस थाने पर मौजुद नहीं है। उसके बारे मे जानकारी करने पर उसका राजकार्य से अपने हलका थाना मे जाना जानकारी मे आया। इस पर परिवादी द्वारा आरोपी की उपस्थिति के बारे मे किसी परीचित व्यक्ति से जानकारी ली गयी तो आरोपी ने शाम को मिलने हेतु अवगत कराया। परिवादी के दोस्त श्री फारूख ने पुनः हरीराम को फोन किया तो आरोपी श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस का केन्द्रीय कारागृह चौराहा स्थित श्याम रेस्टोरेंट पर 07.00 पीएम को मिलने की जानकारी दी। जिस पर मैने परिवादी को उसके मित्र फारूख के साथ रवाना होने से पहले समय लगभग 06.53 पीएम पर रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द किया तथा स्वयं उनके पीछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर श्याम रेस्टोरेंट के पास पहुच कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मौके पर मौजुद रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री शुभम माली श्याम रेस्टोरेंट से बाहर आता हुआ दिखायी दिया। परिवादी व उसका दोस्त बस स्टैण्ड की ओर रवाना हुए मै भी पीछे रवाना हुआ। परिवादी ने बस स्टेण्ड के पास गाडी रोककर मेरे पास आकर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु हालत मे सुपुर्द किया, जिसे मेरे द्वारा बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे अवगत कराया कि मेरी श्री हरीराम सहायक उप निरीक्षक से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो चुकी है तथा उसने मेरे प्रकरण मे आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने की एवज मे मेरे से 70000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा रिश्वत राशि कल प्रातः ही लिया जाना तय किया है। इस पर मेरे द्वारा परिवादी से अवगत हुए तथ्यों के सम्बन्ध मे आपको जरिए दूरभाष हालात अवगत कराये। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 को कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये एवं परिवादी को रात्रि का समय होने के कारण रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किये तथा दिनांक 14.01.26 को

प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु आवश्यक समझाईश कर रूख्स्त किया गया। दिनांक 13.01.26 को कानि0 अर्जुन से वार्ता पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस कार्यालय एसीबी एसयू-अजमेर पर उपस्थित आयी। जहां कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर मूल मैमोरी कार्ड सहित उपस्थित आकर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया एवं अवगत कराया कि परिवादी एवं उसके दोस्त फारूख की आरोपी श्री हरीराम यादव ए0एस0आई0 श्याम रेस्टोरेंट मे उपस्थित मिले, जिनसे प्रकरण के सम्बन्ध मे वार्ता की। उन्होने मेरे द्वारा दर्ज कराये गए प्रकरण संख्या 209/25 मे आरोपीगणों के विरूद्ध चालान न्यायालय मे पेश करने की एवज मे परिवादी से 70000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि उसने कल प्रातः ही मंगवायी है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 द्वारा बताये गए तथ्यों के सम्बन्ध मे आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज की गई वार्ता को चालू कर सुना गया तो कानि0/परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मूल डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड अपने पास सुरक्षित हालात मे रखा जाकर कार्यालय स्टाफ को आवश्यक निर्देश देकर दिनांक 14.01.26 को प्रातः 07.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। दिनांक 14.01.26 समय 08.00 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय हाजा है। इसी दरम्यान परिवादी श्री शुभम माली भी कार्यालय मे उपस्थित आ चुके है। उपस्थित परिवादी श्री शुभम माली ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मेरे पास 70,000 रू0 की व्यवस्था नहीं होकर 20000 रू0 की व्यवस्था हुयी है तथा आरोपी मेरे से 20000 रू0 ले सकता है तथा रिश्वत राशि आरोपी अपने हाथो मे नहीं लेकर रिश्वत राशि किसी लिफाफे मे रखकर अथवा अखबार मे लपेटकर देने हेतु बताया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए। प्राप्त दिशा निर्देशानुसार परिवादी द्वारा 20000 रूपये की रिश्वत राशि पेश की जाने से उक्त रिश्वत राशि के साथ आरोपी को विश्वास मे लिये जाने हेतु मनोरंजन बैंक के डमी नोट की व्यवस्था कर रिश्वत राशि के साथ संलग्न कर दिये जाने का निर्णय लिया। जिस पर कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार विश्नोई को डमी नोटो की व्यवस्था कर लाने हेतु व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु गवाह की तलबी की जाने हेतु जरिए तहरीर कार्यालय के सरकारी वाहन मय चालक के समय करीब 08.30 एएम प्रभारी, बहु-उददेश्यीय पशु चिकित्सालय, शास्त्री नगर, अजमेर के लिए रवाना किया गया। दिनांक 14.01.26 समय 10.00 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक तलबशुदा गवाह डा0 सिद्धार्थ सिंह वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय कल्याणीपुरा अजमेर व डा0 विक्रम सिंह वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रामनगर अजमेर व मनोरंजन बैंक के 100-100 रूपये के 80 डमी नोटो सहित कार्यालय मे उपस्थित आए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु उपस्थित परिवादी श्री शुभम माली से गवाहान का एक-दूसरे से आपस मे परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से आरोपी व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशों को सुनाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया, गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। परिवादी श्री शुभम माली व आरोपी श्री हरीराम यादव स0उ0नि0 पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 13.01.26 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमेरी कार्ड में दर्ज की गई है जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वार्ता अलग से तैयार होगी। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री शुभम माली को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा तो परिवादी श्री शुभम माली ने अपनी जेब में से पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट की राशि प्रस्तुत की। प्रस्तुतशुदा रिश्वती राशि 20000 रूपये के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर रिश्वत राशि के साथ मनोरंजन बैंक के 100-100 रूपये के 80 डमी नोटो के दोनों ओर कार्यालय के श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर तथा अखबार मे लपेटकर रखवाये जाकर अखबार के उपर व नीचे दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर रिश्वत राशि अखबार मे लपेटी हुयी को परिवादी की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गए। उक्त समस्त कार्यवाही की सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवायें जाकर परिवादी श्री शुभम माली को आरोपी श्री हरीराम यादव स0उ0नि0 को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देष प्रदान किये गए। परिवादी द्वारा करवायी जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध मे अपने दोस्त फारूख को बता दिया जाना अवगत कराया है एवं उसको आरोपी से सम्पर्क कर मिलने हेतु बुलाने के लिए बोला गया था। परिवादी के मित्र द्वारा कॉल करके अवगत कराया गया कि आरोपी पुलिस थाने मे उपस्थित है व मिलने के लिए

श्याम रेस्टोरेंट आ रहा है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश स.उ.नि., श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री अर्जुन कानि. 244, व स्वतन्त्र गवाह डा0 सिद्धार्थ सिंह व डा0 विक्रम सिंह कार्यालय के सरकारी वाहनों से तथा परिवादी श्री शुभम माली को अपनी स्वयं के निजी वाहन मय कार्यालय के श्री अर्जुन कानि0 को वॉइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कार्यालय से मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप व प्रिन्टर सहित पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर के लिए रवाना हुयी तथा एसीबी कार्यालय चौकी अजमेर के श्री मनोज कानि0 व श्री राजुराम कानि0 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर स्थित चौराहे पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गए। श्री जगदीश प्रसाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान व स्टाफ के केन्द्रीय कारागृह चौराहा के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट के पहले पहुचे। जहा परिवादी श्री शुभम माली को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर तयशुदा स्थान श्याम रेस्टोरेंट केन्द्रीय कारागृह चौराहा, अजमेर के लिए रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कार्यालय के वाहनों को साईड मे खडा कर रेस्टोरेंट के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय करीब 11.45 एएम पर परिवादी श्री शुभम माली ने एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के सामने स्थित श्याम रेस्टोरेंट के बाहर खडे होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ,गवाहान को देखते हुए अपनी शरीर पर पहने हुए जैकेट के टोपे को पहनते हुए रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। ईशारे को पाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ सर्वश्री नरेन्द्र कुमार विश्नोई उप निरीक्षक, श्री कन्हैया लाल स0उ0नि0, श्री राजेष स0उ0नि0, श्री अर्जुन लाल कानि0, श्री दामोदर कानि मय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी चौकी अजमेर से तलबिदा श्री मनोज कानि0 नं0 01 व श्री राजूराम कानि0 नं0 04 को हमराह लेकर परिवादी के पास श्याम रेस्टोरेन्ट के बाहर मुख्य सडक पर पहुची। जहां परिवादी श्री शुभम माली उपस्थित मिला जिसने मन् निरीक्षक पुलिस को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर प्रस्तुत किया। जिसका मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया गया तो मूल डिजीटल वॉइस रिकॉडर बंद हालात मे प्राप्त हुआ। जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित हालात मे रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री शुभम माली ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि यही श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि की मांग अनुरूप मेरे से 20,000 रू0 की रिश्वत राशि नोट एवं 100-100 रू0 के 80 मनोरंजन बैंक के डमी नोट एक अखबार के कागज मे लपेटे हुए बण्डलनुमा राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट के सामने अन्दर बायीं ओर रखे है तथा मेरे परीचित श्री फारूख के सामने रूपये लिए है। इस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर उपस्थित वर्दीधारी पुलिसकर्मी को अपना व हमराहियान गवाहान, स्टाफ का परिचय दिया जाकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री हरीराम यादव पुत्र श्री मूलाराम जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी ढाणी मंगलाका वाली पुलिस थाना नीम का थाना-कोतवाली जिला सीकर हाल निवासी कल्याणीपुरा रोड गली नं0 01, धोलाभाटा पुलिस थाना अलवर गेट, जिला अजमेर हाल पदस्थापन सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर होना अवगत कराया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री हरीराम यादव को परिवादी श्री शुभम माली से ली गई रिश्वत राशि 20,000 रूपये एवं 100-100 रूपये के 80 मनोरंजन बैंक के डमी नोटो के सम्बन्ध मे पूछताछ की तो आरोपी श्री हरीराम यादव चुप रहा तथा कुछ नही बोला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री शुभम माली मेरे पास आया था, जिसने मेरे को एक अखबार मे लपेटे हुआ बण्डल दिया था। उक्त अखबार मे लपेटे हुए रूपये के बण्डल के सम्बन्ध मे आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि श्री शुभम माली द्वारा पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर पर दर्ज प्रकरण संख्या 209/25 मे आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने हेतु रूपये दिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक को पूछा कि उक्त रिश्वत राशि आपने अपने स्वयं के लिए लिए है अथवा किसी अन्य अधिकारीगण को भी आगे दिये जाने हेतु प्राप्त किये है। इस पर आरोपी ने बताया कि मेने किसी अन्य के लिए रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, उक्त रूपये मेने परिवादी द्वारा दर्ज कराये गए प्रकरण संख्या 209/25 मे आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने हेतु लिए है। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री शुभम माली ने आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि आरोपी सही कह रहा है। मेने पुलिस थाना सिविल लाईन मे एक प्रकरण श्री ऋषि अग्रवाल बूज निवासी 1397 बी, अलखनंदा कॉलोनी, अजमेर एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया था। जिसमे सम्बन्धित आरोपीगणों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक श्री हरीराम द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जिसके लिए मै इनसे मिला तो इन्होने मेरे से प्रकरण मे आगामी कार्यवाही कर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने के लिए मेरे से 70,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैने इनको आज इनकी मांग के अनुरूप ही मेरे पास इतने रूपये की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 20,000 रू0 की रिश्वत राशि नोट भारतीय चलित मुद्रा के एवं शेष 100-100 रूपये के 80 डमी नोट मनोरंजन बैंक के संलग्न कर एक अखबार मे लपेटकर दिये है, जो इन्होने मेरे से प्राप्त कर श्याम रेस्टोरेंट पर ही मेरे परीचित श्री फारूख के सामने ही अपनी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट के सामने का बटन खोलकर शर्ट के अन्दर बायीं तरफ रखे है। आरोपी

द्वारा रिष्वत राषि की स्वीकारोक्ति करने के उपरान्त पास ही उपस्थित गवाहान श्री विक्रम सिंह से आरोपी के पहनी हुयी वर्दी की शर्ट के बटन को खुलवाकर रिश्वत राशि अखबार के बण्डल को दिखवाया गया तो उस अखबार के अन्दर रिश्वत राशि रखी होना बताया, उक्त रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई वर्दी की शर्ट के अन्दर ही रहने दी गयी। मौके पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विडीयोग्राफी कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 से करवायी गयी। मौके पर आम रास्ता होने से व भीडभाड एकत्रित होने से व्यवधान होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से समय करीब 11.55 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन जिला अजमेर के दोनो हाथो को क्रमश पौचो के उपर से बायां व दाहिना हाथ श्री दामोदर कानि0 व श्री अर्जुन कानि0 से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन मे बैठाकर बरामदशुदा माल वजह सबूत मय मुल्जिम के श्याम रेस्टोरेंट केन्द्रीय कारागृह चौराहा से एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट-अजमेर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.10 पीएम ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट-अजमेर पहुची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रियानुसार कार्यालय से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में आरोपी श्री हरीराम यादव के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आर0एच0-1, आर0एच0-2 एवं बाएं हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एल0एच0-1 व एल0एच0-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शीषियों को कब्जे एसीबी ली गई। प्रयुक्तषुदा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को मौके पर नष्ट कराया गया। श्री हरीराम यादव के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पुलिस वर्दी की शर्ट के सामने के बायीं ओर से शर्ट के अन्दर रिश्वत राशि रखी हुयी है। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो को स्वतंत्र गवाह डा0 विक्रम सिंह से निकलवाये जाकर उक्त नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि नोट से मिलान कराया गया तो बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट भारतीय चलित मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट होकर कुल 20,000 रूपये के नम्बरी नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी के अनुरूप हूबहू होना पाये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है - क्र.स. नोट का प्रकार नोट नम्बर 1 पांच सौ रूपये का एक नोट 6GP026705 2 पांच सौ रूपये का एक नोट 5NQ877685 3 पांच सौ रूपये का एक नोट 7HE401775 4 पांच सौ रूपये का एक नोट 3HQ663192 5 पांच सौ रूपये का एक नोट 9EW226498 6 पांच सौ रूपये का एक नोट 9ME229469 7 पांच सौ रूपये का एक नोट 9DP232858 8 पांच सौ रूपये का एक नोट 6GA548303 9 पांच सौ रूपये का एक नोट 3TS011471 10 पांच सौ रूपये का एक नोट 7HA349122 11 पांच सौ रूपये का एक नोट 2AB075999 12 पांच सौ रूपये का एक नोट 0LV715549 13 पांच सौ रूपये का एक नोट 2DR288109 14 पांच सौ रूपये का एक नोट 5BC011357 15 पांच सौ रूपये का एक नोट 1DL852940 16 पांच सौ रूपये का एक नोट 7GC490707 17 पांच सौ रूपये का एक नोट 2ED410034 18 पांच सौ रूपये का एक नोट 7FQ378091 19 पांच सौ रूपये का एक नोट 2GQ840428 20 पांच सौ रूपये का एक नोट 1VU548338 21 पांच सौ रूपये का एक नोट 2QW318396 22 पांच सौ रूपये का एक नोट 5AS021108 23 पांच सौ रूपये का एक नोट 7CF237700 24 पांच सौ रूपये का एक नोट 1CS504684 25 पांच सौ रूपये का एक नोट 2GS850176 26 पांच सौ रूपये का एक नोट 8CR842006 27 पांच सौ रूपये का एक नोट 9MF680704 28 पांच सौ रूपये का एक नोट 9MU744276 29 पांच सौ रूपये का एक नोट 8EP600273 30 पांच सौ रूपये का एक नोट 8PM062438 31 पांच सौ रूपये का एक नोट 4TD578592 32 पांच सौ रूपये का एक नोट 3RW772513 33 पांच सौ रूपये का एक नोट 0GT341961 34 पांच सौ रूपये का एक नोट 6WL980270 35 पांच सौ रूपये का एक नोट 6GB125143 36 पांच सौ रूपये का एक नोट 9DK376377 37 पांच सौ रूपये का एक नोट 1GW067198 38 पांच सौ रूपये का एक नोट 4EN931667 39 पांच सौ रूपये का एक नोट 6NR740424 40 पांच सौ रूपये का एक नोट 9ET708061 बरामदशुदा रिश्वती राशि नोट 20,000 रूपये पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन"से चिन्हित किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके अतिरिक्त रिश्वती राशि के साथ अन्य मनोरंजन बैंक डमी नोट 100-100 रूपये के 80 नोटो पर पृथक से कपडे की चिट लगवाकर चिट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन-1" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गए। दौराने रिश्वती राशि लेन-देन के समय आरोपी को उक्त रिश्वती राशि नोट जिस अखबार मे लपेटकर रिश्वती राशि दी गयी थी, उक्त अखबार प्रकरण मे वास्ते वजह सबूत होने से उक्त अखबार के पृष्ठ पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर अखबार को एक कपडे की थैली मे रखकर सिल्डचिट किया जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क "एन-2" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया

गया। आरोपी श्री हरीराम यादव की कार्यवाही के दौरान गवाहान की उपस्थिति मे जामा तलाशी लिवायी गई तो श्री हरीराम यादव के शरीर पर पहनी हुयी वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से एक पर्स व मोबाईल फोन विवो कम्पनी का बरंग सिल्वर होना पाया गया। आरोपी के पास मिले पर्स की तलाशी ली गयी तो उसमे 6,030 रूपये नगद, आधार कार्ड, पुलिस विभाग का पहचान पत्र, रोडवेज का आरएफआईडी कार्ड, आयकर कार्ड, एसबीआई बैंक का ग्लोबल एवं प्लेटीनम डेबिट कार्ड कार्ड, एक बैंक ऑफ बडौदा का एटीएम कार्ड होना पाये गए। उक्त नगद राशि के सम्बन्ध मे श्री हरीराम यादव से पूछताछ की गयी तो उसने उक्त राशि अपने स्वयं के निजी खर्च हेतु रखी जाना अवगत कराया तथा अपने मोबाईल फोन मे दो सिम कार्ड जियो कम्पनी के होना अवगत कराते हुए उनके नम्बर व होना बताया। आरोपी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर नगद राशि, पहचान पत्र, विभिन्न बैंक के एटीएम काड, आधार कार्ड व मोबाईल फोन आरोपी को सुरक्षित सुपुर्द किये गए। श्री हरीराम यादव के ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि 20000 रूपये भारतीय चलित मुद्रा राशि एवं 100-100 रूपये 80 मनोरंजन डमी नोट एक अखबार मे लिपटे हुए आरोपी की वरवक्त शरीर पर पहनी हुयी वर्दी की शर्ट के अन्दर से रिश्वत राशि बरामद होना पाये जाने से अग्रिम ट्रेप प्रकियानुसार आरोपी श्री हरीराम यादव के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट के सामने के बायीं ओर के हिस्से का धोवण प्राप्त किया जाना है, अतः प्रकिया के अनुसार श्री हरीराम यादव स0उ0नि0 के लिये अन्य शर्ट की व्यवस्था कर पहनी हुई शर्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर रासायनिक प्रकिया के अनुसार कार्यालय से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मे से एक पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास निकलवाया गया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया। पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास के घोल में श्री हरीराम यादव के शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट के सामने के बाएं हिस्से को तैयारशुदा मिश्रण मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो साफ कांच की शीशियो को साफ कर प्राप्त धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर सील्ड चिट किया जाकर क्रमंशः मार्क एस-1 व एस-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। प्रयुक्त किये गये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासको मौके पर नष्ट कराया गया। उक्त बरामदशुदा पुलिस वर्दी की शर्ट बरंग खाकी जिसके सामने के बायीं हिस्से के अन्दर से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त शर्ट के सामने के बाएं हिस्से को सुखाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट की तह बनाकर शर्ट को एक कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एस" से चिन्हित कर शर्ट पैकेट को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री हरीराम यादव स0उ0नि0 को परिवादी द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या 209/25 के सम्बन्ध मे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि प्रकरण संख्या 209/25 मे मेरे द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, मात्र चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जानी है। उक्त प्रकरण पत्रावली पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर मे मेरे कार्यालय कक्ष के बक्से मे रखी हुयी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर पर जरिए मेल तहरीर प्रेषित कर सम्बन्धित से दूरभाष पर वार्ता कर प्रकरण की पत्रावली तलब की गयी। समय करीब 06.50 पीएम पर पुलिस थाना सिविल लाईन के श्री लखन गोमा कानि0 नं0 2924 ने कार्यालय आकर प्रकरण संख्या 209/25 दिनांक 25.06.25 अन्तर्गत धारा 316(2),318 (4),61(2) बी0एन0एस0एस0 2023 मे दर्ज प्रकरण की मूल पत्रावली पेज संख्या 1 से 413 तक लाकर मन् ट्रेपकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुतशुदा पत्रावली प्रकरण संख्या 209/25 के सम्बन्ध मे आरोपी श्री हरीराम यादव से पूछताछ की गयी तो उन्होने पत्रावली को देखकर बताया कि उक्त प्रकरण मे मेरे द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान किया जा चुका है। पत्रावली श्रीमान् सी0ओ0 साहब के नाम चालानी आदेश प्राप्त किये जाने मे लम्बित है तथा आरोपीगणों को माननीय न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किये जाने हेतु अभियुक्तों को नोटिस भी जारी किये जा चुके है। राजकार्य मे व्यस्त होने से प्रकरण की पत्रावली मे वास्ते चालान निर्णय हेतु सी0ओ0 साहब के भिजवाया जाना शेष रही है। इस पर पुलिस थाना सिविल लाईन द्वारा तलबशुदा मूल पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर पत्रावली पेज संख्या 1 से 413 की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गयी तथा प्रकरण की मूल पत्रावली पुलिस थाना सिविल लाईन के श्री लखन गोमा कानि0 नं0 2924 को सुरक्षित हालात मे संभलायी गयी। दौराने कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे संधारित मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को चालु कर सुना गया तो उक्त मैमोरी कार्ड खाली होना पाया गया जिसके सम्बन्ध मे परिवादी से पूछताछ की गयी तो उक्त वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड जल्दबाजी व घबराहट होने की वजह से चालु नहीं हो सका। जिसकी वजह से उक्त मैमोरी कार्ड मे वक्त रिश्वत राशि लेन-देन की वार्ता दर्ज नहीं हो सकी। आरोपी लोकसेवक श्री हरीराम यादव के आवासीय मकान कल्याणीपुरा रोड गली नं0 01, धोलाभाटा पुलिस थाना अलवर गेट, जिला अजमेर की खाना तलाशी श्री नरेन्द्र कुमार विश्नोई उप निरीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, एस0यू0-अजमेर द्वारा ली जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय के श्री राजूराम कानि0 नं0 04, एसीबी, चौकी अजमेर के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन मे मैमेरी कार्ड संधारित कर करवाई जाकर मूल मैमोरी कार्ड की

हैश-टेग वैल्यू निकाली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के लेप-टॉप की सहायता से दो पैन-ड्राईव पृथक से तैयार किये गये। जिनमे से मूल मैमोरी कार्ड माननीय न्यायालय हेतु तथा एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैलीयो मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया शेष अन्य एक पेन-ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण के आरोपी श्री हरीराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन2018) का कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री हरीराम यादव को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर फर्द गिरफ्तारी शामिल कार्यवाही की गई। बाद कार्यवाही आरोपी की फर्द जामा तलाशी ली जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 13.01.26 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज की गई वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है को लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी श्री शुभम माली के समक्ष ऑपरेट कर शब्द-ब-शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से मुर्तिब की गयी। जिस पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश-टेग वेल्यू कार्यालय के लेप-टॉप से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पैन ड्राईव में संधारित कर तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली में डालकर एफ0एस0एल0 हेतु,एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पैन ड्राईव को पृथक से कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तीसरे पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर पृथक-पृथक मार्क अंकित कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तैयारशुदा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.01.26 मुर्तिबा दिनांक 14.01.26 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे प्रयुक्त की गई पीतल की नमूना सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद समस्त कार्यवाही के प्रकरण मे जब्तशुदा समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करवाये जाने हेतु श्री दामोदर कानि0 को सुपुर्द किये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री शुभम माली पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी मकान नं0 135, मौसम विभाग ऑफीस के पास दातानगर जटिया हिल्स, शास्त्री नगर, अजमेर द्वारा पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर पर दर्ज प्रकरण संख्या 209/25 मे परिवादी की मदद कर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान पेश करने की एवज मे आरोपी श्री हरीराम यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर के लोकसेवक के पद पर पदस्थापित होकर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.01.26 को 70,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय होना पाये जाने से आज दिनांक 14.01.26 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री हरीराम यादव द्वारा परिवादी से आज दिनांक को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 20,000 रूपये रिश्वत राशि भारतीय चलित मुद्रा एवं 100-100 रूपये के 80 डमी नोट मनोरंजन बैंक के अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट के सामने के बाएं ओर के हिस्से के शर्ट के अन्दर अखबार मे लपेटी हुयी रखी होना बरामद की गई है। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री हरीराम यादव स0उ0नि0 के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगूठो के धोवन व वरवक्त शरीर पर पहनी हुई वर्दी की शर्ट के सामने के बाएं हिस्से का धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आरोपी श्री हरीराम यादव पुत्र श्री मूलाराम जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी ढाणी मंगलाका वाली पुलिस थाना नीम का थाना-कोतवाली जिला सीकर हाल निवासी कल्याणीपुरा रोड गली नं0 01, धोलाभाटा पुलिस थाना अलवर गेट, जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया गया हैं। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित की जावेगी। (श्रीमती मीरा बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत ममें आरोपी श्री हरीराम यादव पुत्र श्री मूलाराम जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी ढाणी मंगलाका वाली पुलिस थाना नीम का थाना-कोतवाली जिला सीकर हाल निवासी कल्याणीपुरा रोड गली नं0 01, धोलाभाटा पुलिस थाना अलवर गेट, जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सिविल लाईन, जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 274 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह

राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 114-17 दिनांक 16.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- पुलिस अधीक्षक, अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/01/2026 19:28:04

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)